अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी,** जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर व इजलास **एकता काबरा, आर.ए.एस.**

वाद संख्या : 20/2020

उनवान

1. रोड़ूराम पुत्र श्री नाथूराम उम्र 50 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. शिशुपाल उर्फ मिठालाल पुत्र स्व0 श्री मोहरू उम्र 45 वर्ष
2. महेशपुत्र स्व0 श्री मोहरू उम्र 42 वर्ष
3. धन्नाराम पुत्र स्व0 श्री मोहरू उम्र 40 वर्ष
4. बजरग लाल मीना पुत्र स्व0 श्री मोहरू उम्र 37 वर्ष
5. श्रीमती सुरजा देवी पत्नी स्व0 श्री मोहरू उम्र 75 वर्ष
6. जगदीश पुत्र श्री ओंकार उम्र 45 वर्ष
7. जयसिंह पुत्र श्री ओंकार उम्र 50 वर्ष
8. बद्रीनारायण पुत्र श्री ओंकार उम्र 40 वर्ष
9. मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री रणजीता उम्र 40 वर्ष
10. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री रणजीता उम्र 43 वर्ष
11. रमेश पुत्र स्व0 श्री रणजीता उम्र 32 वर्ष
12. नेताराम पुत्र स्व0 श्री रणजीता उम्र 35 वर्ष
13. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री पप्पू पौत्र स्व0 श्री रणजीता उम्र 20 वर्ष
14. श्रीमती पप्पूडी पत्नी स्व0 श्री पप्पू उम्र 40 वर्ष
15. श्रीमती कल्ली देवी पत्नी स्व0 श्री रणजीता उम्र 70 वर्ष
    समस्त जाति मीना निवासीयान ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसील तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटवारां व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है आराजी कृषि भूमि हाल खसरा नं0 3996 रकबा 0.07 है0, ख0न0 3998 रकबा 0.07 है0, ख0न0 4000 रकबा 0.09 है0, ख0न0 4001 रकबा 0.09 है0, ख0न0 4019 रकबा 0.07 है0,ख0न0 4020 रकबा 0.06 है0, ख0न0 4037 रकबा 0.10 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.55 है0 का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम ग्राम	जमाबंदी खाता नं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	सह. खातेदारों के नाम मय पिता/पति व पता
				वर्तमान इन्द्राज			
1	वाटिका	364	3996 3998 4000 4001 4019 4020 4037	0.07 0.07 0.09 0.09 0.07 0.06 0.1000	चाही A बरानी 1 चाही A चाही A चाही A चाही A चाही A	3.01 0.53 3.87 3.87 3.01 2.58 4.30	छोटू पुत्र नानू हिस्सा 1/8, जाति मीना, सा. देह ,खातेदार, जगदीश पुत्र ओंकार हिस्सा 1/12, जाति मीना, सा. खातेदार, जयसिंह पुत्र ओंकार , हिस्सा 1/12 जाति मीना सा. देंह खातेदार, बद्रीनारायण पुत्र ओंकार, हिस्सा 1/12 जाति मीना सा. देह खातेदार , मोहरू पुत्र नानू हिस्सा 1/8, जाति मीना सा. देह खातेदार, रणजीता पुत्र सालमा , हिस्सा 1/4 जाति मीना सा. देह खातेदार, रोडूराम पुत्र नाथूराम, हिस्सा 1/4, जाति मीना सा. देह खातेदार,
			07	0.55		21.17	

प्रस्तावित इन्द्राज

क्र. सं.	खातेदारो के नाम/पिता, पति मय पता	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
1	छोटू पुत्र नानू हिस्सा 1/2, जाति मीना, सा. देह ,खातेदार मोहरू पुत्र नानू हिस्सा 1/2, जाति मीना सा. देह खातेदार	4001 में सें 4000 3998 में सें	0.0450 0.09 0.0025	चाही A चाही A बरानी 1		
		03	0.1375			
2	ज़गदीश पुत्र ओंकार हिस्सा 1/3, जाति मीना, सा. खातेदार जयसिंह पुत्र ओंकार , हिस्सा 1/3जाति मीना सा. देंह खातेदार, बद्रीनारायण पुत्र ओंकार, हिस्सा 1/3, जाति मीना सा. देह खातेदार	4037 4001 में से	0.10 0.0375	चाही A चाही A		
		02	0.1375			
3	रणजीता पुत्र सालमा, जाति मीना सा. देह खातेदार,	4019 4020 4001 में सें	0.07 0.06 0.0075	चाही A चाही A चाही A		
		03	0.1375			
4	रोडूराम पुत्र नाथूराम, जाति मीना सा. देह खातेदार,	3998 में से 3996	0.0675 0.07	चाही 1 चाही 1		
		02	0.1375			

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुरेंजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/9/2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा ....

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

सांगानेर जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : एकता काबरा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 20/2020
निर्णय दिनांक : 16/9/2022

उनवान

1. रोडूराम पुत्र श्री नाथूराम उम्र 50 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. शिशुपाल उर्फ मिठालाल पुत्र स्व0 श्री मोहरू उम्र 45 वर्ष
2. महेशपुत्र स्व0 श्री मोहरू उम्र 42 वर्ष
3. धन्नाराम पुत्र स्व0 श्री मोहरू उम्र 40 वर्ष
4. बजरग लाल मीना पुत्र स्व0 श्री मोहरू उम्र 37 वर्ष
5. श्रीमती सुरजा देवी पत्नी स्व0 श्री मोहरू उम्र 75 वर्ष
6. जगदीश पुत्र श्री ओंकार उम्र 45 वर्ष
7. जयसिंह पुत्र श्री ओंकार उम्र 50 वर्ष
8. बद्रीनारायण पुत्र श्री ओंकार उम्र 40 वर्ष
9. मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री रणजीता उम्र 40 वर्ष
10. प्रहलाद पुत्र स्व0 श्री रणजीता उम्र 43 वर्ष
11. रमेश पुत्र स्व0 श्री रणजीता उम्र 32 वर्ष
12. नेताराम पुत्र स्व0 श्री रणजीता उम्र 35 वर्ष
13. महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री पप्पू पौत्र स्व0 श्री रणजीता उम्र 20 वर्ष
14. श्रीमती पप्पूडी पत्नी स्व0 श्री पप्पू उम्र 40 वर्ष
15. श्रीमती कल्ली देवी पत्नी स्व0 श्री रणजीता उम्र 70 वर्ष
    समस्त जाति मीना निवासीयान ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसील तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बटवारां व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षिप विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सख्या एक लगायत पन्द्रह की सयुक्त आराजि कृषि भूमि हाल खसरा न0 3996 रकबा 0.07 है0, ख0न0 3998 रकबा 0.07 है0, ख0न0 4000 रकबा 0.09 है0,ख0न0 4001 रकबा 0.09 है0, ख0न0 4019 रकबा 0.07 है0,ख0न0 4020 रकबा 0.06 है0, ख0न0 4037 रकबा 0.10 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.55 है0 वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे वादी का हिस्सा 1/4 तथाप्रतिवादी संख्या एक लगायत पांच का हिस्सा 1/4, व प्रतिवादी सख्या छः लगायत आठका हिस्सा 1/4 प्रतिवादी सख्या [illegible] लगायत पन्द्रह का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। छोटू पुत्र [illegible] बाद फौत हो चुका है जिसके वारिसान उसके सगे भाई स्व0 मोहरू पुत्र नानू है [illegible] नानू का स्वर्गवास हो चुका है तथा उसके वारीस प्रतिवादीगण [illegible] उक्त आराजीयात का आज तक विधिवतं बटवारां नही हुआ परन्तु वादी व प्रतिवादीगण सख्या एक लगायत पन्द्रह मनबटं के आधार पर बटवारां कर कृशि काश्त कर [illegible] रहे है वादी ने अपने कब्जे की उक्त आराजी भूमि को काफी धन व श्रम खर्च कर उपजाउ बना रखा है। तथा अपने हिस्से की भूमि की पशुओ से सुरक्षा के लिए चारो ओर तार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

बाउण्ड्रीवॉल बनाकर अपने उपयोग उपभोग मे लेते आ रहे है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात का विधिवंत बटवारां करवाने के लिए कई बार कहा तो प्रतिवादीगण कोई न कोई बहाना बनाकर टालते रहे है। दिनांक 15/6/2020 को प्रतिवादी सख्या छः लगायत आठ वादी की कब्जे काश्त की भूमि पर आये और जबरन कब्जा करने की नियत से तारबाउण्डरी तोडने लगे जिस पर वादी ने पुलिस को सुचना दी। इस पर प्रतिवादी छः लगायत आठ उस समय तो मौके से चले गये परन्तु जाते समय धमकी दी कि हम आपके कब्जे की उक्त आराजीयात पर कब्जा करके रहेगे। अन्यप्रतिवादीगणने भी विधिवंत बटवारां करने के लिए मना कर दिया। इस कारण वादी को यह वाद वास्ते बटवारां व स्थायी निशेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ। वादी बटवारां करवाने का अधिकारी है कि वाद पत्र के पैरा न0 एक मे वर्णित आराजि हाल खसरा न0 3996 रकबा 0.07 है0, ख0न0 3998 रकबा 0.07 है0, ख0न0 4000 रकबा 0.09 है0,ख0न0 4001 रकबा 0.09 है0, ख0न0 4019 रकबा 0.07 है0,ख0न0 4020 रकबा 0.06 है0, ख0न0 4037 रकबा 0.10 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.55 है0 वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे वादी का हिस्सा 1/4 का मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर अलग से बटवारां कर अलग खाता बनाया जावे और उसी अनुसार लगान निर्धारण किया जावे। तथा प्रतिवादी सख्या छः लगायत आठ को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा न0 3996 रकबा 0.07 है0, ख0न0 3998 रकबा 0.07 है0 पर किसी प्रकार से तारबाउण्डरी तोडकर कब्जा नही करे तथा मौके की यथास्थिती बनाये रखे। तथा उक्त वर्णित आराजीयात का जब तक बटवारां नही हो जाता है तब तक विक्रय, रहन ,इकरारनामा इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति को नही करे तथा न ही उस पर किसी प्रकार का निमार्ण इत्यादि करे। ऐसा न स्वयं करे और न ही किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये तथा वादी के भान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर वादी ने निवेदन हैं कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे :–

(क) हाल खसरा न0 3996 रकबा 0.07 है0, ख0न0 3998 रकबा 0.07 है0, ख0न0 4000 रकबा 0.09 है0,ख0न0 4001 रकबा 0.09 है0, ख0न0 4019 रकबा 0.07 है0,ख0न0 4020 रकबा 0.06 है0, ख0न0 4037 रकबा 0.10 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.55 है0 वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे वादी का हिस्सा 1/4 का मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर अलग से बटवारां कर अलग खाता बनाया जावे और उसी अनुसार लगान निर्धारण किया जावे।

(ख) प्रतिवादी सख्या छः लगायत आठ को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त की भूमि खसरा न0 3996 रकबा 0.07 है0, ख0न0 3998 रकबा 0.07 है0 पर किसी प्रकार से तारबाउण्डरी तोडकर कब्जा नही करे तथा मौके की यथास्थिती बनाये रखे। तथा उक्त वर्णित आराजीयात का जब तक बटवारां नही हो जाता है तब तक विक्रय, रहन,इकरारनामा इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति को नही करे तथा न ही उस पर किसी प्रकार का निमार्ण इत्यादि करे। ऐसा न स्वयं करे और न ही किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये तथा वादी के भान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा [illegible] करे। प्रतिवादी सख्या सोलह को राजस्व रिकार्ड की यथा[illegible] फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को दिनांक 02.[illegible]2020 को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 22.07.2020 का पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सख्या 3, 4, 5 की ओर से एडवाकेट श्री प्रकाश तिवाडी एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 15 की ओर से एडवोकेट श्री मंयक कूलवाल ने वकालतनामा पेश किया जो पत्रावली में शामिल मिसल

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

है। दिनांक 13.01.2021 को पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 एवं 9 से 15 के वकील उपस्थित, शेष प्रतिवादी को जारी रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 13.07.2020 की रसीद पत्रावली में शामिल मिसल है, कोई उपस्थित नहीं पत्रावली वास्ते जवाब दावा हेतु आगामी तारीख पेशी 17.02.2021 नियत की गई। दिनांक 10.03.2022 को पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 15 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की ओर से कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 15 व वादी की ओर से मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की।

वादी अधिवक्ता ने वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस वादी अधिवक्ता व अधिवक्ता प्रतिवदी संख्या प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 15 सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 15 व वादी की ओर से मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर करने पर दिनांक 10.03.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अतः प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.03.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया गया कि उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर कर दिनांक 10.03.2022 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार सांगानेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/4447 दिनांक 08.06.2022 को कुरेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे भिजवायी गयी जो पत्रावली में शामिल मिसल की गयी। दिनांक 15.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 पेश किया गया। जिसे दिनांक 13.07.2022 को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण में होने वाली आगामी कार्यवाही हेतु अनुमति प्रदान की गई।

बहस उपस्थित अधिवक्ता की कुर्रेजात रिपार्ट पर बहस सुनी गयी एवं कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से आज दिनांक तक कुर्रेजात पर कोई आपत्ति प्रस्तुत पेश नही की है। वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाकर तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम वाटिका पटवार हल्का वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है आराजी कृषि भूमि हाल खसरा न0 3996 रकबा 0.07 है0, ख0न0 3998 रकबा 0.07 है0, ख0न0 4000 रकबा 0.09 है0,ख0न0 4001 रकबा 0.09 है0, ख0न0 4019 रकबा 0.07 है0,ख0न0 4020 रकबा 0.06 है0, ख0न0 4037 रकबा 0.10 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.55 है0 का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता हैः—

वर्तमान इन्द्राज							
क्र. सं.	नाम ग्राम	जमाबंदी खाता नं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	सह. खातेदारों के नाम मय पिता/पति व पता
1	वाटिका	364	3996 3998 4000 4001 4019 4020 4037	0.07 0.07 0.09 0.09 0.07 0.06 0.1000	चाही A बरानी 1 चाही A चाही A चाही A चाही A चाही A	3.01 0.53 3.87 3.87 3.01 2.58 4.30	छोटू पुत्र [illegible] सा 1/8, जाति [illegible], सा. [illegible] खातेदार, [illegible] पुत्र ओंकार, हि[illegible] 1/12, जाति मीना, सा. [illegible]दार, जयसिंह पुत्र ओंकार, [illegible]स्सा 1/12 जाति मीना सा. देंह खातेदार, बद्रीनारायण पुत्र ओंकार, हिस्सा 1/12 जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested

							मीना सा. देह खातेदार , मोहरू पुत्र नानू हिस्सा 1/8, जाति मीना सा. देह खातेदार, रणजीता पुत्र सालमा , हिस्सा 1/4 जाति मीना सा. देह खातेदार, रोडूराम पुत्र नाथूराम, हिस्सा 1/4, जाति मीना सा. देह खातेदार,
			07	0.55		21.17	

प्रस्तावित इन्द्राज						
क्र. सं.	खातेदारो के नाम/पिता, पति मय पता	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
1	छोटू पुत्र नानू हिस्सा 1/2, जाति मीना, सा. देह ,खातेदार मोहरू पुत्र नानू हिस्सा 1/2, जाति मीना सा. देह खातेदार	4001 में सें 4000 3998 में सें	0.0450 0.09 0.0025	चाही A चाही A बरानी 1		
		03	0.1375			
2	जगदीश पुत्र ओंकार हिस्सा 1/3, जाति मीना, सा. खातेदार जयसिंह पुत्र ओंकार , हिस्सा 1/3जाति मीना सा. देंह खातेदार, बद्रीनारायण पुत्र ओंकार, हिस्सा 1/3, जाति मीना सा. देह खातेदार	4037 4001 में से	0.10 0.0375	चाही A चाही A		
		02	0.1375			
3	रणजीता पुत्र सालमा, जाति मीना सा. देह खातेदार,	4019 4020 4001 में सें	0.07 0.06 0.0075	चाही A चाही A चाही A		
		03	0.1375			
4	रोडूराम पुत्र नाथूराम, जाति मीना सा. देह खातेदार,	3998 में से 3996	0.0675 0.07	चाही 1 चाही 1		
		02	0.1375			

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार सांगानेर को प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शे की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप [illegible] डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/3/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ekta Karnani
Date: 2023.01.11 16:01:42 IST
Reason: SelfAttested

(एकता काबरा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी